न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 148/2017/223 आर टी ए

ज्ञानाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी 99 आरडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. साहबराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी 94 आरडी तहसील रावतसर।

––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 09.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर
प्रकरण संख्या 261/2016 अनवानी स्टेट बनाम ज्ञानाराम

उपस्थित :–
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2

निर्णय दिनांकः–26.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 14.07.2016 को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हटाने बाबत एक नोटिस अपीलांट को जारी किया गया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खेतावाली ढाणी चक 91 आरडी के प.न. 137/409 मे कि.न. 21 ता 25 मे 4 गटठा गैरमुमकिन स्वीकृतशुदा रास्ता है उक्त रास्ता की भूमि पर से आपने मिट्टी हटाकर अन्य जगह डाल दी है जिस कारण रास्ता संकडा हो गया है अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त हटायी गई मिट्टी को 10 दिवस के अन्दर पुनः स्वीकृतशुदा भूमि मे डाल दे। जिस पर नोटिस तामील होने के बाद अपीलांट ने तहसीलदार साहब के यहां 25.07.2016 को उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शिकायतकर्ता साहबराम पुत्र भगवानाराम मेरा चचेरा भाई है जिस रास्ते के लिऐ नोटिस प्राप्त हुआ है वह पूर्ण रूप से खुला एवं चालू है रास्ते मे से कोई मिट्टी नही उठाई है मिट्टी खेत मे से उठाकर दूसरे खेत मे डाली थी उस समय पूरी भूमि सांझा खाता एवं हमारे पड़दादा के नाम थी और शिकायतकर्ता साहबराम खेत की मिट्टी उठाने मे हमारे साथ था। अब किसी पारिवारिक रंजिशवश शिकायते करता है रास्ते मे जो भी गडडे है वो बरसात के कारण ही बने है। तत्पश्चात तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए आराजी 91 आरडी के प.न. 136/410 मु.न. 86 की 0.228 है0 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

137/410 मु.न. 87 की 0.202 कुल 0.430 है0 भूमि को आराजी राज दर्ज कर अपीलांट को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश फरमाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दिनांक 16.02.2017 को अपीलांट की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा आगामी पेशी 23.03.17 व इसके बाद 13.04.17 नियत की गई थी। दिनांक 13.04.17 के बाद आगामी पेशी 04.05.17 वास्ते जवाब नियम की परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये उक्त पत्रावली दिनांक 09.05.17 को कैम्प खेतावाली ढाणी मे पेश कर अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है क्योंकि दिनांक 16.02.17 को अपीलांट की तरफा से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया दिनांक 16.02.17 को जिसमे आगामी पेशी 23.03.17 व इसके बाद 13.04.17 नियत की गई थी। दिनांक 13.04.17 के बाद आगामी पेशी 04.05.17 वास्ते जवाब विचारण न्यायालय ने नियत की परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये उक्त पत्रावली दिनांक 09.05.17 को कैम्प खेतावाली ढाणी मे पेश कर अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जिसमे पत्रावली अभी जवाब दावा पर थी परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट का जवाबदावा लिये बिना व प्रार्थी को कैम्प खेतावाली मे जाने बाबत किसी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना दिये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट की उक्त चक मे अन्य भूमि भी है जो सेमग्रस्त भूमि है तथा चक 91 आरडी के प.न. 136/410 कि.न. 5 की 0.228 है0 भूमि बालू मिट्टी मे काफी उंचा टीला है उक्त बालू मिट्टी का अपीलांट ने अपनी अन्य सेमग्रस्त भूमि मे डाल कर दोनो भूमियों को उपजाउ बनाने का प्रयास किया है जो किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नही है तथा आज भी अपीलांट की विवादित भूमि मे कृषि मे प्रयुक्त की जा रही है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों की कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट न मंगवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट के खेत मे मंजूरशुदा रास्ता से अपीलांट ने किसी प्रकार

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

की कोई मिट्टी नही उठवाई है आज भी मौका पर रास्त पूर्ण व सही व चालू हालत मे है तथा रास्ते को किसी प्रकार का कोई नुकसान नही है तथा आज भी बिना किसी बाधा के इस रास्ता पर आवागमन सुचारू रूप से चालू है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2017 को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट के नाम चक 99 आरडी मे भूमि स्थित है। अपीलांट द्वारा उक्त रकबे मे से अवैध रूप से मिट्टी खनन कर परिवहन/विक्रय न करने बाबत पटवारी/नायब तहसीलदार रावतसर द्वारा कई बार रोका गया किन्तु अपीलांट ने अवैध खनन कर मिट्टी का परिवहन/विक्रय नही रोका गया। उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन कर मिट्टी परिवहन/विक्रय हेतु नही दी गई है यह भूमि अपीलांट को कृषि कार्य हेतु दी गई हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत किसी ऐसे कार्य को करने या जो जोत भूमि के लिये हानिप्रद हो उसे परियोजना की असंगती मे हो, जिसके उक्त जो पट्टे पर दिया गया हो या इस आधार पर की उसने या उसे लेकर धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त का उल्लघंन किया है जिसके उल्लंघन करने व किसी ऐसे अनुबंध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के उपबंदो के विपरीत नही है। इस कारण विचारण न्याायलय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए प्रस्तुत कर उक्त भूमि से अप्रार्थी/अपीलांट को बेदखल किया जाने व उसके खिलाफ नियमों के दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि से अपीलांट/अप्रार्थी बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 की चक 91 आरडी मे कृषि भूमि है जिसमे आवागमन के लिये प.न. 136/410 व 137/410 मे मंजूरशुदा रास्ता है अपीलांट ने उक्त रास्ता के दोनो तरफ अवैध मिट्टी खनन करके रास्ता अवरूद्ध कर दिया है रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय मे उक्त मिट्टी खनन मे रास्ता अवरूद्ध होने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया व विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि मे अवैध मिट्टी खनन करने पर एक

बीघा भूमि आराजीराज घोषित कर दी पर आराजीराज भूमि रास्ता पर किये गये अवैध खनन पर कोई आदेश पारित नही किया है। रेस्पो0 उक्त चक का काश्तकार है रेस्पो0 आज भी अपनी कृषि भूमि मे रास्ता अवरूद्ध होने के कारण आ जा नही सकता है। अतः अपीलांट द्वारा मिट्टी खनन के दौरान रास्ता अवरूद्ध किया गया है, जिसे दुरूस्त करवाने हेतु आदेश पारित करते हुए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि चक 99 आरडी मे भूमि स्थित है। अपीलांट द्वारा उक्त रकबे मे से अवैध रूप से मिट्टी खनन कर परिवहन/विक्रय न करने बाबत पटवारी/नायब तहसीलदार रावतसर द्वारा कई बार रोका गया किन्तु अपीलांट ने अवैध खनन कर मिट्टी का परिवहन/विक्रय नही रोका गया तो तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए आराजी 91 आरडी के प.न. 136/410 मु.न. 86 की 0.228 है0 व 137/410 मु.न. 87 की 0.202 कुल 0.430 है0 भूमि को आराजी राज दर्ज कर अपीलांट को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश फरमाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि से अपीलांट/अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का आदेश पारित किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा मिट्टी उठाकर अन्य अपनी भूमि पर डलवाई गई थी तथा अपील के दौरान मौका रिपोर्ट तहसीलदार रावतसर से मंगवाई गई जिसके अनुसार चक 91 आरडी के प.न. 136/410 मु.न. 86 कि.न. 5 मे 0.228 मे मौके पर कृषि कार्य हो रहा है जिसमे नरमा व चरी की बिजाई की गई है। इस प्रकार तथ्य तो साबित है कि अपीलांट द्वारा चक 91 आरडी की भूमि मे से मिट्टी उठाई गई तथा मिट्टी खुदाई के दौरान रेस्पो0 सं. 2 के कथनानुसार चक 91 आरडी की भूमि मे स्थित रास्ता को भी अवरूद्ध किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 178 (2) के अनुसार धारा 177 के अन्तर्गत ऐसी डिक्री या आज्ञा मे यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट–फूट की मरम्मत करवा दे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे जो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा का

लागत के अलावा अन्य किसी के लिये निष्पादन नही किया जायेगा, आदि प्रावधान किये गये। अपीलांट द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर रास्ता मे क्षति कारित की है जिस पर उक्त धारा के अनुसार जो रास्ता मे क्षति मे कारित की है उसे 3 महीने दुरूस्त किये जाने की शर्त पर धारा 177 आरटीए के तहत हुई कार्यवाही को समाप्त किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांट को पाबंद किया जाना न्यायोचित है कि अपीलांट द्वारा जो रास्ता मे क्षति कारित करते हुए रास्ता को अवरूद्ध किया उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 (2) के प्रावधानानुसार 3 महीने मे दुरूस्त करें।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि प.न. 136/410 व 137/410 मे मंजूरशुदा रास्ता मे जो क्षति कारित करते हुए रास्ता अवरूद्ध किया गया है, उसे 3 महीने के भीतर दुरूस्त कर रास्ता सुचारू से चालू करें। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ